

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ.56(क)()अभि./सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/69964

दिनांक : 01/09/2022

आदेश

राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के अनुसरण में "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban)" का राज्य के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में दिनांक 9 सितम्बर, 2022 से शुभारम्भ किया जा रहा है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुये, निर्देशित किया जाता है कि राज्य की समस्त नगर निकायों के आयुक्त/अधिकाधिकारी एवं अभियांत्रिकी शाखा के अधिकाधिकारी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक विभाग की पूर्वानुमति/स्वीकृति के बिना न त्ने अवकाश पर जायेंगे एवं न ही मुख्यालय छोड़ेंगे। नगरीय निकायों के उपरोक्त अधिकारियों के पूर्व में स्वीकृत समस्त प्रकार के अवकाश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं।

नगरीय निकायों के उपरोक्त अधिकारियों द्वारा उक्त आदेशों की कठोरता से पालना की जावे। यदि किसी भी अधिकारी द्वारा उपरोक्त आदेशों की अवहेलना की जाती है, तो उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:एफ.56 (क)()सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/69965-70306 दिनांक: 01/09/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
7. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर।
8. जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY-Urban), समस्त राजस्थान।
9. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद्/पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
10. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक (सतर्कता), निदेशालय।
11. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
12. आयुक्त/अधिकाधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका (समस्त), राजस्थान।
13. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय।
14. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. संस्थापन अनुभाग/आर.एम.एस. (टी) अनुभाग/आर.एम.एस.(संस्थापन)/आर.एम.एस. (जांच) अनुभाग /सर्तकता अनुभाग, निदेशालय।
16. सुरक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त निदेशक